(182)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

जयपुर, दिनांक 8.2.2017

क्रमांक:प.12(103)नविवि/2004/पार्ट/

परिपत्र

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डीबीसिविल (पीआईएल) [illegible] 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में प्रदत्त निर्णय [illegible] दिनांक 12.01.2017 की पालना के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण [illegible] जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, विभिन्न नगर सुधार न्यास, नगर निगम/परिषद/पालिकाओं में विभिन्न प्रकरणों में कार्यवाही लंबित है [illegible] इस कारण प्रकरणों का निस्तारण नहीं होने से आम जनता को कठिनाई हो रही है [illegible] साथ-साथ नगरीय निकायों के राजस्व पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। [illegible] समस्या के निस्तारण के संबंध में राज्य सरकार के स्तर पर लिए गये निर्णय के अनुसरण में निम्नानुसार कार्यवाही की जावे-

1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.01.2017 में मुख्यतः मास्टर प्लान/जोनल प्लान के अनुरूप कार्य करने के आदेश हैं इसलिए सभी नगरीय निकायों में वर्तमान में प्रभावी [illegible] संशोधित मास्टर प्लान/चालू मास्टर प्लान के अनुरूप सभी योजनाओं के अनुमोदन आदि कार्यवाही पर कोई रोक नहीं है इसलिए वर्तमान मास्टर प्लान के अनुरूप कार्य किया जावे।
2. [illegible] पूर्व के किसी मास्टर प्लान के [illegible] यदि [illegible] [illegible] मास्टर प्लान के अनुरूप कार्य नहीं होने के कारण मास्टर प्लान के अनुरूप प्रकरणों का निस्तारण किया जावे।
3. वर्तमान में प्रभावी मास्टर प्लान के [illegible] कार्यवाही की जाती [illegible] रोक नहीं है। कतिपय नगरीय निकायों [illegible] कार्यवाही [illegible] कर दी है जो कि उचित नहीं है। [illegible] में नियमानुसार [illegible] की जावे।
4. आवासीय कॉलोनियों में यदि मास्टर प्लान के [illegible] प्रस्तावित है तो वह भी वर्तमान नियमों के अनुरूप [illegible] उपयोग के प्रयोजनार्थ अनुमति प्रदान की जा सकती है। ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जावे।
5. योजना क्षेत्र की आवासीय कॉलोनी में [illegible] शिक्षा [illegible] अनुमोदन किये जाने के संबंध में यह निर्धारित किया गया है कि ऐसी कॉलोनियों जिनमें आधारभूत सुविधाएं [illegible] की संख्या के हिसाब से विकसित की गई है [illegible] रहने वाले निवासियों की [illegible] स्थिति में [illegible] प्रभावित करने की

क्षेत्र की आवासीय कॉलोनियों में 15 मीटर की ऊँचाई तक के भवनों अनुमोदित करने में कोई रोक नहीं है। तथा ऐसा भूखण्ड जो आईसोलेटेड है और किसी आवासीय योजना का भाग नहीं है उन पर भी नियमानुसार बहुमंजिला भवन की अनुमति दी जा सकती है। 15 मीटर ऊँचाई की सीमा रखते हुए यदि भू-खण्डों का पुर्नगठन भी कराया जाता है तो उस पर भी कोई रोक नहीं है। विद्यमान नियमों के अन्तर्गत 15 मीटर से अधिक ऊंचाई के भवन ही बहुमंजिला भवनो की श्रेणी में आते है। यह निर्देश पूर्वगामी न हो कर भविष्य गामी है।

8. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रश्नगत निर्णय द्वारा बिल्डिंग लाईन एवं सैटबैक के वॉईलेशन की नियमितिकरण पर रोक लगाई गई है परन्तु ऊँचाई एवं एफ.ए.आर. के संबंध में नियमितिकरण पर कोई रोक नहीं है। अतः जब तक सैटबैक एवं बिल्डिंग लाईन के नियमितिकरण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय से निर्णय की तिथि से पूर्व के निर्माणों के संबंध में अनुमति प्राप्त न कर ली जावे तब तक अन्य बिन्दुओं पर नियमितिकरण किया जा सकता है।

उपरोक्त आदेशो की पालना सुनिश्चित की जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

8/2/17

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव (प्रथम)

क्रमांक: प.3(03)नविवि/2004/पार्ट/ [illegible]

जयपुर दिनांक: - 8 FEB 2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग राज0 जयपुर
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
4. निजी सचिव, आयुक्त/सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण
5. निजी सचिव, निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग राज0 जयपुर।
6. [illegible]
7. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिका राज0।
8. [illegible] संयुक्त विधि परामर्शी स्वायत्त शासन विभाग
9. [illegible]
10. [illegible]

[illegible]
संयुक्त शासन सचिव (प्रथम)